5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कं. /2019 पुनरीक्षण

निगरानी-0503/2019/शिवपुरी/स्टांप अधि०

श्री मुकेश आदि
द्वारा आज दि. 9-4-19 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 18-4-19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-4-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
9-4-19 एडवोकेट
ग्वालियर

रामदेवान पुत्र सीताराम लोधी
निवासी ग्राम राजापुर रखौरा तहसील
पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प शिवपुरी
2. श्रीमती मुन्नी पत्नी शालिकराम लोधी निवासी सिरसा भरतपुर तहसील पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प, शिवपुरी जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कमांक /पिछोर/10/बी–103/2018–19 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2018 के विरूद्ध स्टांप अधिनियम 1899 की धारा 56(4) के अंतर्गत पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

निवेदन है कि –

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी– 503/2019/शिवपुरी/स्टांप अधिनियम

रामदेवान विरूद्ध म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–5–2019	आवेदक अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प शिवपुरी के प्रकरण कमांक पिछोर/10/बी–103/2018–19 में पारित आदेश दिनांक 31–12–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक ने प्रकरण आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वापस करने का अनुरोध किया है। आवेदक अभिभाषक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये प्रकरण आयुक्त को प्रस्तुत करने हेतु इस निर्देश के साथ वापस किया जाता है कि आयुक्त इस न्यायालय में व्यतीत समय को समय–सीमा में गणना करें। (आर. के. जैन) सदस्य 16.5.19	